RCMS/2013/00006

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

मैसर्स नवकार बिल्डर्स एवं डवलपर्स, प्रोपराईटर श्रीमती पुष्पा जैन, निवासी उदयपुर	**बनाम**	श्री नारायण पिता डूंगा डांगी व अन्य, निवासीयान, उदयपुर

किस्म मुकदमा अपील 78/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
03.03.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या-2 व 4 उपस्थित परन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। उपस्थित होने हेतु आवाजें दिलवाई गई। प्रकरण की सुनवाई हेतु के लिए पुकार होने पर न्यायालय समय समाप्त होने एवं न्यायालय उठने तक अधिवक्ता अपीलान्ट/अपीलान्ट उपसंजात नहीं हुए। पत्रावली पिछले कई वर्षों से तामिल की कार्यवाही में चली आ रही है, अधिवक्ता अपीलान्ट को नियमित रूप आदेशित किये जाने बावजुद शेष प्रत्यर्थी के सम्मन पेश नहीं किये जाने प्रकरण/अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से अधिवक्ता अपीलार्थी की अपील दर्ज होने के बाद से ही रूचि कम रही है क्योंकि इतने बार आदेशित करने के बाद भी अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आदेशों की पालना में प्रत्यर्थी के सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये और तामिली की कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रकरण/अपील अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। संभागीय आयुक्त उदयपुर		

Scanned with CamScanner